"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर 2010—कार्तिक 21, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2010

अधिसूचना

क्र. एफ -1-16/18/2010.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	03	राधिका नगर
		15	घासीदास नगर
		26	श्याम नगर
		28	शहीद वीरनारायण सिंह नगर
		64	नेवई भाठा
		67	जोरातराई
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	04	लक्ष्मी नगर
		33	बापू नगर
		66	पुरैना

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	47	सेक्टर 6 (मध्य)
		58	रिसाली सेक्टर उत्तर
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	62	मरोदा स्टेशन
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	शांति नगर
		13	राजीव नगर
		23	शारदा पारा
		25	रविदास नगर
		30	शास्त्री नगर खुर्सीपार जोन 2
		36	राधाकृष्णन मंदिर न्यू खुर्सीपार
		37	सेक्टर 01 उत्तर
		55	रूआबांधा सेक्टर
		59	रिसाली सेक्टर दक्षिण
		60	मरोदा सेक्टर
		61	मरोदा सेक्टर मौहारी भाठा
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	17	छावनी
		18	शास्त्री नगर (कैम्प-1)
		21	प्रगति नगर
		43	सेक्टर 4 पश्चिम
		50	सेक्टर 7 पश्चिम
		53	सेक्टर 10
7.	महिला वर्ग	06	कान्ट्रेक्टर कालोनी
		10	वैशाली नगर
		12	रामनगर
		19	वृंदा नगर
		20	प्रेम नगर
		24	संतोषी पारा
		31	सुभाष नगर खुर्सीपार
		40	सेक्टर 2 पश्चिम
		41	सेक्टर 3
		42	सेक्टर 4 पूर्व
		46	सेक्टर 6 पूर्व
		48	सेक्टर 6 पश्चिम
		65	डूंडेरा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ -1-16/18/2010.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-16/18/2010 दिनांक 12-11-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप सचिव.

Raipur, the 12th November 2010

NOTIFICATION

No. F-1-16/18/2010 .— The List of the Reservation of Wards for Municipal Corporation Bhilai, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	03	Radhika Nagar
		15	Ghasidas Nagar
		26	Shyam Nagar
		28	Shahid Veernarayan Singh Nagar
		64	Nevai Bhata
		67	Joratarai
2.	Scheduled Caste (Female)	04	Laxmi Nagar
		33	Bapu Nagar
		66	Puraina
3.	Scheduled Tribes	47	Sector-6 Centre (Middle)
		58	Risali Sector North
4.	Scheduled Tribes (Female)	62	Maroda Station
5.	Other Backward Class	11	Shanti Nagar
		13	Rajiv Nagar
		23	Sharda Para
		25	Ravidas Nagar
		30	Shastri Nagar Khursipar Zone-2
		36	Radhakrishan Mandir New Khursipar
		37	Sector-1 North
		55	Ruwabandha Sector
		59	Rishali Sector South.
		60	Maroda Sector
		61	Maroda Sector Mouhari Bhata
6.	Other Backward Class (Female)	17	Chhawni
		18	Shastri Nagar (Camp-1)
		21	Pragati Nagar
		43	Sector-4, West
		50	Sector-7, West
		53	Sector-10
7.	Female	06	Contractor Colony
		10	Vaishali Nagar
		12	Ram Nagar
		19	Vrinda Nagar
		20	Prem Nagar
		24	Santoshi Para
		31	Subhash Nagar, Khursipar
		40	Sector-2 West
		41	Sector-3
		42	Sector-4 East
		46	Sector-6 East
		48	Sector-6 West
		65	Dundera

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

AMIT KATARIA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.